# उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012
## (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 06 वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड राज्य के किसी मार्ग से होकर गुजरने वाले मोटरयानों पर परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित और संग्रह करने के लिये

## अधिनियम

**भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित होः–**

**संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**परिभाषायें** 2 इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''बैरियर'' से इस अधिनियम की धारा–7 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है;

(ख) ''उपकर'' से परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अभिप्रेत है;

(ग) ''उपकर निरीक्षक'' से उत्तराखण्ड के किसी सड़क मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटरयान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें–

(एक) किसी ''बैरियर'' पर उपकर संग्रहण हेतु तैनात प्रत्येक सरकारी सेवक; और

(दो) धारा 4 के अधीन उपकर संग्रहण हेतु किसी पट्टेदार द्वारा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मिलित है;

(घ) ''संग्रहण प्राधिकारी'' से धारा–11 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) ''आयुक्त'' से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) ''पट्टेदार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा–4 के अधीन पटटे द्वारा उपकर संग्रह करने हेतु सशक्त किया गया है;

(छ) ''हल्का मोटरयान'' से लदान सहित अधिकतम भार 7500 कि0ग्रा0 वाला कोई मोटर कार या वैन अथवा जीप अथवा जिप्सी अभिप्रेत है;

(ज) ''मोटरयान'' से ऐसा कोई मोटरयान, जो लदान सहित भार या बिना लदान भार के स्वयं की शक्ति से चलाये जाने के लिये बनाया गया हो, अभिप्रेत है, उसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (28) में परिभाषित मोटरयान भी सम्मिलित है परन्तु उसमें बैलगाडी या साइकिल सम्मिलित नही है;

(झ) ''अधिसूचना'' से समुचित प्राधिकार के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) ''सरकारी गजट'' से उत्तराखण्ड का सरकारी गजट अभिप्रेत है;

(ट) ''मार्ग अवस्थापना'' से मार्ग, सुरंग, ऊपरगामी सेतु, पुल, भूमिगत मार्ग, पंहुच या सन्धि मार्ग, उप मार्ग और उनसे आनुषंगिक अन्य सेवायें और सुविधायें अभिप्रेत है;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य सरकार'' या ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) ''टोकन'' से अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर के संग्रहण का प्रमाण अभिप्रेत है।

**उपकर की दर और उसका भुगतान** 3 (1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये किसी मोटरयान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा।

(2) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी व्यक्ति ''बैरियर'' पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(3) मोटरयान जिसने राज्य में किसी/बैरियर पर उपधारा (2) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उसी दिन के भीतर जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) प्रत्येक मोटरयान से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापित बैरियर पर प्रवेश के समय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर देय उपकर की वसूली की जायेगी।

परंतु यह कि यदि कोई वाहन स्वामी, जिसे विभिन्न प्रयोजनों से बार–बार उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करना होता है, वह दैनिक दर के स्थान पर यथास्थिति उपधारा (5) एवं (6) में निर्दिष्ट तिमाही अथवा वार्षिक दर पर उपकर का भुगतान कर टोकन प्राप्त कर सकता है।

(5)तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिये विधिमान्य होगा।

(6)वार्षिक टोकन उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) उपकर की रसीद प्रतिदिन के लिए विधिमान्य होगी, जिसकी

समयावधि की गणना प्रथम बैरियर पार करने से गिनी जायेगी अर्थात इस अवधि में राज्य में एक से अधिक बार प्रवेश करने पर पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(दो) उपकर के भुगतान के उपरान्त यदि कोई मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति एक दिन से अधिक अवधि के लिये राज्य में ठहरता है तो उससे ठहरने की अवधि के आधार पर उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा, परन्तु यदि वह राज्य से बाहर जाकर पुनः राज्य में प्रवेश करता है तो ऐसे वाहन को प्रत्येक प्रवेश पर उपकर का भुगतान करना होगा।

**उपकर संग्रह करने का अधिकार पटटै पर देने की राज्य सरकार की शक्ति** 4. (1) राज्य सरकार उस तिथि से जिसे वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किसी मार्ग अवस्थापना से गुजरने वाले मोटर यान से धारा–3 के अधीन अधिरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी या निविदा या दोनों के मेल से या किसी अन्य तरीके से किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये ऐसी सीमा शर्तों जैसा कि आयुक्त, राज्य सरकार की सहमति के अधीन निर्धारित करे, पट्टे पर दे सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पटटा स्वीकृत करने के उददेश्य से आयुक्त पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग में उपकर की प्राप्तियों और पटटे की अवधि में प्रभावी उपकर की दरों पर विचार करते हुये पटटे की अवधि के अन्तर्गत बैरियर पर सम्भावित वसूल की जाने वाली प्रतिकर की अधिकतम धनराशि आंकलित करेगा।

(3) पटटेधारक के लिये पटटे की सीमा एवं शर्तों का ठीक से अनुपालन करने के ऐसी प्रतिभूति, जैसी आयुक्त निर्देशित करे, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) ऐसी धनराशि (शास्ति, ब्याज या किसी विधिक कार्यवाही की लागत सहित) जो उपधारा (1) के अधीन दिये गये पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा देय हो, यदि देय तिथि तक भुगतान नही की जाती है तो उसकी वसूली भूराजस्व के बकाया की भॉति की जायेगी।

**सेवक आदि लोक सेवक होना** 5 इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझे जायेंगें।

**उपकर निरीक्षक के अधिकार** 6. मोटर यान का चालक, उपकर निरीक्षक द्वारा उससे ऐसी मांग करने पर यान को रोकेगा ताकि वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये किसी दायित्व का निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

**बैरियर की स्थापना** 7. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उददेश्य से, समय–समय पर

सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी या उसे हटा सकेगी।

**उपकर की तालिका और शास्ति के विवरण का प्रदर्शन**

8. किसी बैरियर पर लिये जाने के लिये अधिकृत उपकर की हिन्दी या अंग्रेजी में शब्दों और अंकों में सुपाठ्य लिखित या छपी हुयी तालिका ऐसे बैरियर के पास सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी। उपकर का भुगतान करने से इन्कार करने और अवैध रूप से कोई उपकर लेने के लिये शास्ति का विवरण उसी प्रकार लिखित या छपा हुआ उसके साथ जोडा जायेगा।

**उपकर निरीक्षक को पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान करना**

9. इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु, जब आवश्यक हो, उपकर निरीक्षक को सहायता प्रदान करना, समस्त पुलिस अधिकारियों के लिये बाध्यकारी होगा और इसके लिये उनकी वही शक्तियॉ होगी, जो उनके पास उनके सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में रहती है।

**उपकर का भुगतान न करने के मामलें में प्रक्रिया**

10. मांगे जाने पर उपकर का भुगतान न करने के मामलें में उसके संग्रहण के लिये नियुक्त व्यक्ति मोटरयान को तब तक अवरूद्ध कर सकता है जब तक कि उपकर का भुगतान न हो जाय।

**सचल दस्तों की स्थापना**

11. (1) उपकर की टाल मटोल रोकने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मोटरयानों की जांच करने हेतु सचल दस्ते स्थापित करने का आदेश दे सकती और इस प्रकार स्थापित सचल दस्ते सरकार के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन संग्रहण प्राधिकारी होगा।

(2) जब संग्रहण प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, मोटरयान को रोकेगा और तब तक खडा रखेगा जब तक आवश्यक हो और संग्रहण प्राधिकारी को उपकर के भुगतान की रसीद या टोकन का परीक्षण करने तथा ऐसे मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति, संग्रहण अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचनायें भी उपलब्ध करायेगा।

(3) मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अंतिम प्रवेश के न्यूनतम 72 घन्टो तक उपकर की रसीद और टोकन इसकी समाप्ति के 15 दिनों तक वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति उपधारा (3) के

अधीन अपेक्षित उपकर के भुगतान की गयी रसीद अथवा टोकन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन विहित दर पर निरीक्षण के स्थान पर उपकर वसूल कर सकेगा।

परन्तु यह कि उपकर के अतिरिक्त संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के चार गुना के बराबर संग्रहण फीस भी वसूल करेगा।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी संग्रहण प्राधिकारी माल सहित यदि कोई हो, जो उसमें लाया जा रहा हो उतनी अवधि के लिये जो न्यायपूर्ण रूप से आवश्यक हो, मोटरयान को निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है और उसको जाने की अनुमति तब ही देगा जब मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपकर और इस धारा के अधीन अधिरोपित संग्रहण फीस का भुगतान कर दिया हो या उसके सन्तोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो या उपकर और संग्रहण फीस की धनराशि सुरक्षित करने के लिये जमानतियों या बिना जमानतियों का बंध पत्र निष्पादित कर दिया हो।

**शास्तियॉ**

12. (1) जो कोई–

(क) इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किये बिना किसी बैरियर को पार करने का प्रयास करेगा; या

(ख) इस अधिनियम की किन्ही व्यवस्थाओं या उसके अधीन बनाये गये नियमों या ऐसी किसी व्यवस्था या नियम के अधीन बनाये गये किसी आदेश या निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा तो वह जुर्माना जो पॉच सौ रूपये की धनराशि तक का होगा दायी होगा।

(2) उपकर निरीक्षक द्वारा की गयी लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई मजिस्ट्रेट नही लेगा।

**कानूनी कार्यवाहियों का वर्जन**

13. कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत है, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशायित है, नही होगी।

**छूट**

14. (1) द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में दी गयी शर्तों एवं अपवादों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये कोई उपकर अधिरोपित और देय नही होगा।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की सूचना, जो तीस दिन से कम न हो, सदृश्य अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में किसी यान को जोड सकती है या विलोपित कर सकती है और उसके उपरान्त उक्त द्वितीय अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

**नियम बनाने की शक्ति**

15. राज्य सरकार सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा उपकर लगाने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये और सामान्य रूप से इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को वहन करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

**प्रमाणीकरण**

16. (1) किसी अन्य अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत या भुगतान किये गये किसी उपकर को वापस करने के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियॉ किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रक्षित या चालू नही की जायेगी और न ही किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किसी डिक्री या आदेश जिसमें उसे वापस करने के निर्देश हो, के लिये बाध्यता कारित करेगा।

(2) संदेहों के निवारण के लिये यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (1) की किसी भी बात के बारे में यह नही समझा जायेगा कि वह–

**(क)** अधिनियम की व्यवस्थानुसार उपकर अधिरोपित, संग्रहण या भुगतान के बारे में पूछताछ करने; या

**(ख)** अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन देय धनराशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान की गयी उपकर की धनराशि को वापस करने का दावा करने से प्रतिषिद्ध करती है।

**निरसन और अपवाद**

17. (1) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अध्यादेश, 2012 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0–10 वर्ष 2012) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

## प्रथम अनुसूची
(धारा–3 देखियें)

| क्र0 सं0 | यान का विवरण | प्रतिदिन या उसके भाग के लिये उपकर की दरें | प्रति तिमाही या उसके भाग के लिये उपकर की दरें | प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये प्रतिकर की दरें |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **यान जिसकी भार वहन क्षमता** | | | |
| | (क) 90 कुन्तल से अधिक है। | 60.00 रूपया | स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना | स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना |
| | **(ख)** 20 कुन्तल से अधिक 90 कुन्तल तक | 50.00 रूपया | स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना | स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना |
| | **(ग)** 10 कुन्तल से अधिक 20 कुन्तल तक | 40.00 रूपया | स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना | स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना |
| | **(घ)** सार्वजनिक भार वाहन या निजी भार वाहन के साथ चालित ट्रेक्टर सिवाय जल, कृषि कार्य के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त हो। | 40.00 रूपया | स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना | स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना |
| 2 | **सवारी यान जिनमें बैठने की क्षमता–** | | | |
| | **(क)** 20 सवारी से ऊपर हो | 60.00 रूपया | स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना | स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना |
| | **(ख)** 12 सवारी तक | 40.00 रूपया | लागू नही है। | लागू नही है। |
| | **(ग)** अन्य हल्के मोटरयान जैसे जीप, कार, पिकअप वैन, स्टेशन वैगन | 50.00 रूपया | स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना | लागू नही है। |
| | **(1)** जब निजी यान के रूप में पंजीकृत हो, | 30.00 रूपया | स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 15 गुना | लागू नही है। |
| | **(2)** जब निजी भार वाहन के रूप में पंजीकृत हो | 30.00 रूपया | लागू नही है। | लागू नही है। |
| | **(3)** उपकर बैरियर के 6 कि0मी0 के दायरे में निवास करने वाली निजी पंजीकृत यान के स्वामी | 40.00 रूपया | स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना | लागू नही है। |
| | **(घ)** मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा | 20.00 रूपया | स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना | स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना |

**टिप्पणी**– **(1)** स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये रसीद दी जायेगी।

**(2)** स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये अधिसूचित आकार का एक टोकन दिया जायेगा और उसे यान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

## द्वितीय अनुसूची
## (धारा 14 देखिये)

| क0 सं0 | विवरण | शर्तें और अपवाद |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवायें, राजनयिक, केन्द्र सरकार, मा0 उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मोटरयान। | — |
| 2 | विभिन्न प्रदेशों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिमण, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति से सम्बन्धित मोटरयान। | — |
| 3 | अग्निशमन से सम्बन्धित मोटरयान, एम्बुलेंस, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के उपयोग के लिये विशेष रूप से बनाई गयी मोटरयान। | — |
| 4 | मोटर साइकिल और स्कूटर, और कृषि प्रयोजन हेतु ट्रेक्टर (जब कृषि कार्य के लिये प्रयुक्त हो)। | — |
| 5 | उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरयान | — |

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला
प्रमुख सचिव।

# उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016
## (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 13 वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

## अधिनियम

**भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित होः–**

**संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**धारा 3 का संशोधन** 2 उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात–

(1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये किसी मोटरयान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा।

(2) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी व्यक्ति ''बैरियर'' पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(3) मोटरयान जिसने राज्य में किसी/बैरियर पर उपधारा (2) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उसी दिन के भीतर जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) प्रत्येक मोटरयान से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापित बैरियर पर प्रवेश के समय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर देय उपकर की वसूली की जायेगी।

परंतु यह कि यदि कोई वाहन स्वामी, जिसे विभिन्न प्रयोजनों से बार–बार उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करना होता है, वह दैनिक दर के स्थान पर यथास्थिति उपधारा (5) एवं (6) में निर्दिष्ट तिमाही अथवा वार्षिक दर पर उपकर का भुगतान कर टोकन प्राप्त कर सकता है।

(5)तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के

लिये विधिमान्य होगा।

(6)वार्षिक टोकन उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) उपकर की रसीद प्रतिदिन के लिए विधिमान्य होगी, जिसकी समयावधि की गणना प्रथम बैरियर पार करने से गिनी जायेगी अर्थात इस अवधि में राज्य में एक से अधिक बार प्रवेश करने पर पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(दो) उपकर के भुगतान के उपरान्त यदि कोई मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति एक दिन से अधिक अवधि के लिये राज्य में ठहरता है तो उससे ठहरने की अवधि के आधार पर उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा, परन्तु यदि वह राज्य से बाहर जाकर पुनः राज्य में प्रवेश करता है तो ऐसे वाहन को प्रत्येक प्रवेश पर उपकर का भुगतान करना होगा।

**धारा 11 का 3 संशोधन**

मूल अधिनियम की धारा 11 में–

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगीः–

''(3) मोटरयान का चालन या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा में प्रवेश के समय भुगतान किये गये उपकर की रसीद को राज्य में ठहरने के दौरान वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।''

(ख) उपधारा (4) में शब्द ''अनुसूची के स्तम्भ 3 के अधीन विहित दर'' के स्थान पर शब्द ''धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विहित दर'' रख दिये जायेंगे।

परन्तु यदि धारा 4 के अधीन उपकर संग्रह करने का अधिकार पट्टे पर देने का राज्य सरकार निर्णय करती है, तो उपधारा (3) के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

**अनुसूची का 4 निकाला जाना**

मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

**उत्तराखण्ड शासन,**
**विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग,**
**सं0 345 / XXXVI(3) / 2016 / 84(1) / 2016**
**देहरादूनः दिनांक 30 नवम्बर,2016**

## अधिसूचना

## विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ''उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016'' पर दिनांक 29 नवम्बर,2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**(यहॉ संलग्नक छापा जाय)**

**पताका– ''क''**

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र खुल्वे)
प्रमुख सचिव।

# उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016
## (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 28 वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

**अधिनियम**

**भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित होः–**

**संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

**संक्षिप्त नाम का संशोधन** 2 उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 जिसे अब '' उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं सड़क सुरक्षा उपकर अधिनियम 2012'' के नाम से पढ़ा जाएगा, शीर्षक सहित संशोधित समझा जाएगा।

**धारा 3 का संशोधन** 3 मूल अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित स्पष्टीकरण को एतद्द्वारा निरस्त समझा जाएगा।

**द्वितीय अनुसूची का संशोधन** 4 मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 2 के सम्मुख उल्लिखित विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रख दिया जायेगा; अर्थात

'' विभिन्न राज्यों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिगण /विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के सदस्य/विधान परिषद से संबंधित मोटरयान।''

# उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016
## (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– ..... वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

**अधिनियम**

**भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित होः–**

**संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

**संक्षिप्त नाम का संशोधन** 2 उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 जिसे अब '' उत्तराखण्ड अवस्थापना एवं सड़क सुरक्षा उपकर अधिनियम 2012'' के नाम से पढ़ा जाएगा, शीर्षक सहित संशोधित समझा जाएगा।

**धारा 3 का संशोधन** 3 मूल अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित स्पष्टीकरण को एतद्द्वारा निरस्त समझा जाएगा।

**द्वितीय अनुसूची का संशोधन** 4 मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 2 के सम्मुख उल्लिखित विवरण के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रख दिया जायेगा; अर्थात

'' विभिन्न राज्यों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/ उपमंत्रिगण /विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के सदस्य/विधान परिषद से संबंधित मोटरयान।''

**उत्तराखण्ड शासन,**
**गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग।**
**देहरादून, दिनांक 14 नवम्बर 2016**

मै सचिव, परिवहन विभाग को दिनांक 14 नवम्बर,2016 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित विषय पर मंत्रिमण्डल द्वारा पारित आदेश की एक प्रति भेजता हूं।

**कार्यवलि की मदः 25**

**विषयः उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 का अग्रत्तर संशोधन करने के लिए उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।**

**आदेशः** निर्णीत हुआ कि प्रशासकीय विभाग की टिप्पणी के साथ संलग्न ''उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016'' को विधान सभा के समक्ष यथाप्रक्रिया पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

2. कृपया मंत्रिमण्डल के उपरोक्त निर्णय का क्रियान्वयन शीघ्र सुनिश्चित करने तथा संलग्न प्रपत्र में क्रियान्वयन आख्या, इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति के साथ गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

**संलग्नः— उक्त।**

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

**उत्तराखण्ड शासन,**
**परिवहन अनुभाग–1**
**संख्या–121 / 2017 / 243 / IX–1 / 2011**
**देहरादूनः दिनांक 17 फरवरी,2017**

## अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0–06 वर्ष, 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट उपकर की दरें नियत करते हैं :–

**सारणी**

| क्र0 सं0 | यान का विवरण | प्रतिदिन या उसके भाग के लिये उपकर की दरें |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **माल वाहन** | |
| | (क) भारी मालयान | 60.00 रूपया |
| | (ख) मध्यम मालयान | 50.00 रूपया |
| | (ग) हल्का मालयान | 40.00 रूपया |
| 2 | **यात्री वाहन** | |
| | (क) बस | 60.00 रूपया |
| | (ख) मैक्सी कैब | 50.00 रूपया |
| | (ग) मोटर कैब | 40.00 रूपया |
| | (घ) तिपहिया मोटरयान | 30.00 रूपया |
| 3 | हल्का मोटरयान जब निजी यान के रूप में पंजीकृत हो। | 30.00 रूपया |
| 4 | व्यवसायिक मोटर साईकिल रिक्शा | 20.00 रूपया |

**टिप्पणी–**

(1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन तिमाही टोकन की दरें उपरोक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट दरों का 20 गुना होंगी।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन वार्षिक टोकन की दरें उपरोक्त स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दरों का 60 गुना होंगी।

(3) स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये रसीद दी जायेगी, जबकि तिमाही या वार्षिक भुगतान के लिये अधिसूचित आकार का एक टोकन दिया जायेगा और उसे यान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव

# उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम,2012
## (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 06 वर्ष 2013) मूल अधिनियम
## दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त

# उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम,2016
## (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 13 वर्ष 2016) वर्ष 2016
## दिनांक 29 नवम्बर, 2016 से प्रवृत्त

# उत्तराखण्ड सड़क परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) अधिनियम,2016
## (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 28 वर्ष 2016)
## दिनांक 30 नवम्बर, 2016 से प्रवृत्त

उत्तराखण्ड राज्य के किसी मार्ग से होकर गुजरने वाले मोटरयानों पर परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित और संग्रह करने के लिये

**अधिनियम**

**भारत गणराज्य के तिरेसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित होः–**

**संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**परिभाषायें** 2 इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''बैरियर'' से इस अधिनियम की धारा–7 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है;

(ख) ''उपकर'' से परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अभिप्रेत है;

(ग) ''उपकर निरीक्षक'' से उत्तराखण्ड के किसी सड़क मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटरयान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें–

(एक) किसी ''बैरियर'' पर उपकर संग्रहण हेतु तैनात प्रत्येक सरकारी सेवक; और

(दो) धारा 4 के अधीन उपकर संग्रहण हेतु किसी पट्टेदार द्वारा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मिलित है;

(घ) ''संग्रहण प्राधिकारी'' से धारा–11 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) ''आयुक्त'' से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) ''पट्टेदार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा–4 के अधीन पटटे द्वारा उपकर संग्रह करने हेतु सशक्त किया गया है;

(छ) ''हल्का मोटरयान'' से लदान सहित अधिकतम भार 7500 कि0ग्रा0 वाला कोई मोटर कार या वैन अथवा जीप अथवा जिप्सी अभिप्रेत है;

(ज) ''मोटरयान'' से ऐसा कोई मोटरयान, जो लदान सहित भार या बिना लदान भार के स्वयं की शक्ति से चलाये जाने के लिये बनाया गया हो, अभिप्रेत है, उसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 (59 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (28) में परिभाषित मोटरयान भी सम्मिलित है परन्तु उसमें बैलगाडी या साइकिल सम्मिलित नही है;

(झ) ''अधिसूचना'' से समुचित प्राधिकार के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) ''सरकारी गजट'' से उत्तराखण्ड का सरकारी गजट अभिप्रेत है;

(ट) ''मार्ग अवस्थापना'' से मार्ग, सुरंग, ऊपरगामी सेतु, पुल, भूमिगत मार्ग, पंहुच या सन्धि मार्ग, उप मार्ग और उनसे आनुषंगिक अन्य सेवायें और सुविधायें अभिप्रेत है;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य सरकार'' या ''सरकार'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) ''टोकन'' से अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर के संग्रहण का प्रमाण अभिप्रेत है।

**उपकर की दर और उसका भुगतान** 3 (1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिये किसी मोटरयान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा।

(2) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी व्यक्ति ''बैरियर'' पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(3) मोटरयान जिसने राज्य में किसी/बैरियर पर उपधारा (2) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उसी दिन के भीतर जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) प्रत्येक मोटरयान से उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापित बैरियर पर प्रवेश के समय उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर देय उपकर की वसूली की जायेगी।

परंतु यह कि यदि कोई वाहन स्वामी, जिसे विभिन्न प्रयोजनों से बार–बार उत्तराखण्ड राज्य में प्रवेश करना होता है, वह दैनिक दर के स्थान पर यथास्थिति उपधारा (5) एवं (6) में निर्दिष्ट तिमाही अथवा वार्षिक दर पर उपकर का भुगतान कर टोकन प्राप्त कर सकता है।

(5)तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिये विधिमान्य

होगा।

(6)वार्षिक टोकन उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये वह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

**उपकर संग्रह करने का अधिकार पटटै पर देने की राज्य सरकार की शक्ति**

4. (1) राज्य सरकार उस तिथि से जिसे वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किसी मार्ग अवस्थापना से गुजरने वाले मोटर यान से धारा–3 के अधीन अधिरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी या निविदा या दोनों के मेल से या किसी अन्य तरीके से किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये ऐसी सीमा शर्तों जैसा कि आयुक्त, राज्य सरकार की सहमति के अधीन निर्धारित करे, पट्टे पर दे सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पटटा स्वीकृत करने के उददेश्य से आयुक्त पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग में उपकर की प्राप्तियों और पटटे की अवधि में प्रभावी उपकर की दरों पर विचार करते हुये पटटे की अवधि के अन्तर्गत बैरियर पर सम्भावित वसूल की जाने वाली प्रतिकर की अधिकतम धनराशि आंकलित करेगा।

(3) पटटेधारक के लिये पटटे की सीमा एवं शर्तों का ठीक से अनुपालन करने के ऐसी प्रतिभूति, जैसी आयुक्त निर्देशित करे, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) ऐसी धनराशि (शास्ति, ब्याज या किसी विधिक कार्यवाही की लागत सहित) जो उपधारा (1) के अधीन दिये गये पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा देय हो, यदि देय तिथि तक भुगतान नही की जाती है तो उसकी वसूली भूराजस्व के बकाया की भॉति की जायेगी।

**सेवक आदि लोक सेवक होना**

5 इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझे जायेंगें।

**उपकर निरीक्षक के अधिकार**

6. मोटर यान का चालक, उपकर निरीक्षक द्वारा उससे ऐसी मांग करने पर यान को रोकेगा ताकि वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये किसी दायित्व का निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

**बैरियर की स्थापना**

7. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उददेश्य से, समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी या उसे हटा सकेगी।

**उपकर की तालिका और शास्ति के विवरण का प्रदर्शन**

8. किसी बैरियर पर लिये जाने के लिये अधिकृत उपकर की हिन्दी या अंग्रेजी में शब्दों और अंकों में सुपाठ्य लिखित या छपी हुयी तालिका ऐसे बैरियर के पास सहज दृश्य स्थान पर लगायी जायेगी। उपकर का भुगतान करने से इन्कार करने और अवैध रूप से कोई उपकर लेने के लिये शास्ति का विवरण उसी प्रकार लिखित या छपा हुआ उसके साथ जोडा जायेगा।

**उपकर निरीक्षक**

9. इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु, जब आवश्यक हो, उपकर

**को पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान करना**

निरीक्षक को सहायता प्रदान करना, समस्त पुलिस अधिकारियों के लिये बाध्यकारी होगा और इसके लिये उनकी वही शक्तियॉ होगी, जो उनके पास उनके सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में रहती है।

**उपकर का भुगतान न करने के मामलें में प्रकिया**

10. मांगे जाने पर उपकर का भुगतान न करने के मामलें में उसके संग्रहण के लिये नियुक्त व्यक्ति मोटरयान को तब तक अवरूद्ध कर सकता है जब तक कि उपकर का भुगतान न हो जाय।

**सचल दस्तों की स्थापना**

11. (1) उपकर की टाल मटोल रोकने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मोटरयानों की जांच करने हेतु सचल दस्ते स्थापित करने का आदेश दे सकती और इस प्रकार स्थापित सचल दस्ते सरकार के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन संग्रहण प्राधिकारी होगा।

(2) जब संग्रहण प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, मोटरयान को रोकेगा और तब तक खडा रखेगा जब तक आवश्यक हो और संग्रहण प्राधिकारी को उपकर के भुगतान की रसीद या टोकन का परीक्षण करने तथा ऐसे मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति, संग्रहण अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचनायें भी उपलब्ध करायेगा।

(3) मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अंतिम प्रवेश के न्यूनतम 72 घन्टो तक उपकर की रसीद और टोकन इसकी समाप्ति के 15 दिनों तक वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित उपकर के भुगतान की गयी रसीद अथवा टोकन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन विहित दर पर निरीक्षण के स्थान पर उपकर वसूल कर सकेगा।

परन्तु यह कि उपकर के अतिरिक्त संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के चार गुना के बराबर संग्रहण फीस भी वसूल करेगा।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी संग्रहण प्राधिकारी माल सहित यदि कोई हो, जो उसमें लाया जा रहा हो उतनी अवधि के लिये जो न्यायपूर्ण रूप से आवश्यक हो, मोटरयान को निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है और उसको जाने की अनुमति तब ही देगा जब मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपकर और इस धारा के अधीन अधिरोपित संग्रहण फीस का भुगतान कर दिया हो या उसके

सन्तोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो या उपकर और संग्रहण फीस की धनराशि सुरक्षित करने के लिये जमानतियों या बिना जमानतियों का बंध पत्र निष्पादित कर दिया हो।

**शास्तियॉ**

**12.** (1) जो कोई–

**(क)** इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किये बिना किसी बैरियर को पार करने का प्रयास करेगा; या

**(ख)** इस अधिनियम की किन्ही व्यवस्थाओं या उसके अधीन बनाये गये नियमों या ऐसी किसी व्यवस्था या नियम के अधीन बनाये गये किसी आदेश या निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा तो वह जुर्माना जो पॉच सौ रूपये की धनराशि तक का होगा दायी होगा।

(2) उपकर निरीक्षक द्वारा की गयी लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई मजिस्ट्रेट नही लेगा।

**कानूनी कार्यवाहियों का वर्जन**

**13.** कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत है, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशायित है, नही होगी।

**छूट**

**14.** (1) द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में दी गयी शर्तों एवं अपवादों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये कोई उपकर अधिरोपित और देय नही होगा।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की सूचना, जो तीस दिन से कम न हो, सदृश्य अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में किसी यान को जोड सकती है या विलोपित कर सकती है और उसके उपरान्त उक्त द्वितीय अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

**नियम बनाने की शक्ति**

**15.** राज्य सरकार सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा उपकर लगाने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये और सामान्य रूप से इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को वहन करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

**प्रमाणीकरण**

**16.** (1) किसी अन्य अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत या भुगतान किये गये किसी उपकर को वापस करने के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियॉ किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रक्षित या चालू नही की जायेगी और न ही किसी

न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किसी डिक्री या आदेश जिसमें उसे वापस करने के निर्देश हो, के लिये बाध्यता कारित करेगा।

(2) संदेहों के निवारण के लिये यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (1) की किसी भी बात के बारे में यह नही समझा जायेगा कि वह–

(क) अधिनियम की व्यवस्थानुसार उपकर अधिरोपित, संग्रहण या भुगतान के बारे में पूछताछ करने; या

(ख) अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन देय धनराशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान की गयी उपकर की धनराशि को वापस करने का दावा करने से प्रतिषिद्ध करती है।

**निरसन और अपवाद**

17. (1) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अध्यादेश, 2012 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0–10 वर्ष 2012) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

## द्वितीय अनुसूची
(धारा 14 देखिये)

| क0सं0 | विवरण | शर्तें और अपवाद |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवायें, राजनयिक, केन्द्र सरकार, मा0 उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मोटरयान। | – |
| 2 | विभिन्न प्रदेशों के मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रिमण, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति से सम्बन्धित मोटरयान। | – |
| 3 | अग्निशमन से सम्बन्धित मोटरयान, एम्बुलेंस, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के उपयोग के लिये विशेष रूप से बनाई गयी मोटरयान। | – |
| 4 | मोटर साइकिल और स्कूटर, और कृषि प्रयोजन हेतु ट्रेक्टर (जब कृषि कार्य के लिये प्रयुक्त हो)। | – |
| 5 | उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरयान | – |

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला
प्रमुख सचिव।